

राजस्थान सरकार  
न्यायालय उपखण्ड अधिकारी एवं पदेन सहायक कलक्टर, खेतड़ी

पीठासीन अधिकारी – जय सिंह, आर.ए.एस.

मुकदमा नंबर – 123/2021

GCMS No. 2021/123

मुन्नी पत्नी पृथ्वी सिंह जाति जाट निवासी नालपुर तहसील खेतड़ी जिला झुन्झुनूं,  
राज0

.....वादिया

ब-ना-म

1. अड़ीसाल सिंह उम्र 65 वर्ष
  2. इन्दर सिंह उम्र 63 वर्ष
  3. मदन सिंह उम्र 60 वर्ष
  4. विक्रम सिंह उम्र 58 वर्ष
  5. श्रीपाल सिंह उम्र 55 वर्ष
- } पुत्रान बगडावत सिंह
6. सविता कंवर पुत्री बगडावत सिंह उम्र 50 वर्ष
  7. सुदेश कंवर पुत्री बगडावत सिंह उम्र 48 वर्ष
  8. अनोप कंवर पत्नी जगन सिंह उम्र 80 साल
  9. अजीत सिंह पुत्र जगन सिंह उम्र 65 वर्ष
  10. गोपी सिंह पुत्र जगन सिंह उम्र 63 वर्ष
  11. जयपाल सिंह पुत्र जगन सिंह उम्र 60 साल
  12. नत्थू सिंह पुत्र जगन सिंह उम्र 58 वर्ष
  13. पाबूदान सिंह पुत्र जगन सिंह उम्र 45 वर्ष
  14. रमेश सिंह पुत्र जगदन सिंह उम्र 50 वर्ष
  15. अवतार सिंह पुत्र रघुवीर सिंह उम्र 55 वर्ष
  16. ओम कंवर पत्नी रघुवीर सिंह उम्र 75 वर्ष
  17. जय सिंह पुत्र रघुवीर सिंह उम्र 60 वर्ष
  18. रतन सिंह पुत्र रघुवीर सिंह उम्र 50 वर्ष
  19. सुदेश सिंह पुत्र रघुवीर सिंह उम्र 48 वर्ष
  20. पूर्ण सिंह पुत्र सायर कंवर पुत्री रघुवीर सिंह उम्र 35 वर्ष
  21. सन्जू पुत्री सायर कंवर पुत्री रघुवीर सिंह उम्र 28 वर्ष
  22. उमराव सिंह पुत्र हरदेव सिंह उम्र 67 वर्ष
  23. दशरथ सिंह पुत्र गुलाब सिंह उम्र 35 वर्ष
  24. राजेन्द्र पुत्र गुलाब सिंह उम्र 30 वर्ष
  25. विनोद पुत्री गुलाब सिंह उम्र 43 वर्ष
  26. निर्मला पुत्री गुलाब सिंह उम्र 40 वर्ष
  27. उमा कंवर पत्नी मूल सिंह उम्र 70 वर्ष

507  
उपखण्ड अधिकारी, खेतड़ी

28. प्रेम कंवर पत्नी मनभर सिंह उम्र 80 वर्ष
  29. ओमप्रकाश उम्र 65 वर्ष पुत्र मनभर सिंह
  30. बजरंग सिंह उम्र 60 वर्ष पुत्र मनभर सिंह
  31. बिरजू सिंह उम्र 55 वर्ष पुत्र मनभर सिंह
  32. सत्यनारायण सिंह उम्र 50 वर्ष पुत्र मनभर सिंह
  33. केंसर सिंह पुत्र हजारी सिंह उम्र 45 वर्ष
  34. हरि सिंह पुत्र हजारी सिंह उम्र 40 वर्ष
  35. कान्ता देवी पत्नी महेन्द्र सिंह उम्र 68 वर्ष
  36. प्रदीप सिंह पुत्र महेन्द्र सिंह उम्र 40 साल
  37. पवन सिंह पुत्र महेन्द्र सिंह उम्र 35 वर्ष
  38. सतपाल सिंह पुत्र महेन्द्र सिंह उम्र 30 साल
  39. बन्ने सिंह पुत्र रघुनाथ सिंह उम्र 65 वर्ष
  40. रेवत सिंह पुत्र गिरधारी सिंह उम्र 75 वर्ष
  41. कोशलया पत्नी पूर्ण सिंह पुत्रवधु गिरधारी सिंह उम्र 52 वर्ष
  42. शारदा पुत्री पूर्ण सिंह नवीरा गिरधारी सिंह उम्र 38 वर्ष
  43. ईश्वर सिंह पुत्र पूर्ण सिंह नवीरा गिरधारी सिंह उम्र 28 वर्ष
  44. जन सिंह पुत्र पूर्ण सिंह नवीरा गिरधारी सिंह उम्र 26 वर्ष
  45. रोतास सिंह पुत्र गिरधारी सिंह उम्र 55 वर्ष
  46. ममता पत्नी रणजीत सिंह पुत्रवधु गिरधारी सिंह
  47. कवीता पुत्री रणजीत सिंह नवीरा गिरधारी सिंह उम्र 20 वर्ष
  48. कशिश पुत्री रणजीत सिंह नवीरा गिरधारी सिंह उम्र 18 वर्ष
  49. घीसा सिंह पुत्र जगदीश सिंह उम्र 55 वर्ष
  50. छीमा देवी पत्नी जगदीश सिंह उम्र 75 वर्ष
  51. मीना पुत्री जगदीश सिंह उम्र 50 वर्ष
  52. शक्ति सिंह पुत्र जगदीश सिंह उम्र 45 वर्ष
  53. रेवत सिंह पुत्र इचरज कंवर पुत्री मंगेज सिंह उम्र 50 वर्ष
  54. राजेन्द्र सिंह पुत्र इचरज कंवर पुत्री मंगेज सिंह उम्र 40 वर्ष
  55. उर्मिला पुत्री इचरज कंवर पुत्री मंगेज सिंह उम्र 36 वर्ष
  56. कमला पुत्री इचरज कंवर पुत्री मंगेज सिंह उम्र 30 वर्ष
  57. बाला कंवर पुत्री राजेन्द्र सिंह उम्र 42 वर्ष
  58. सुमन कंवर पुत्री राजेन्द्र सिंह उम्र 65 वर्ष
  59. सरोज कंवर पुत्री राजेन्द्र सिंह उम्र 40 वर्ष
- समस्त जाति राजपूत निवासी डाडाफतेहपुरा तहसील खेतड़ी।
60. इण्डियन ओवरसीज बैंक शाखा कोलिहान नगर जरिये शाखा प्रबंधक।
  61. भूमि धारक राज0 सरकार जरिये तहसीलदार, खेतड़ी।

.....प्रतिवादीगण

  
उपखण्ड अधिकारी, खेतड़ी

**दावा- खाता विभाजन**  
**अन्तर्गत धारा 53 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955**

-: निर्णय :-

दिनांक 16-02-2023


उपर्युक्त उनवानी प्रकरण में इस न्यायालय द्वारा दिनांक 14-11-2022 को प्राथमिक डिक्री का निर्णय पारित किया गया कि **ग्राम डाडाफतेहपुरा** तहसील खेतड़ी स्थित भूमि हाल खाता संख्या नया 221 में दर्ज खसरा नंबर क्रमशः 103, 1106, 111, 201, 202, 213, 217, 218 कुल किता 8 कुल रकबा 4.76 है। में वादिया का 6/121 हिस्से का अलग से खाता विभाजन कर लगान अलग से कायम किये जाने का आदेश दिया जाता है। पक्षकारान के राजस्व रिकार्ड में दर्ज हिस्से व मौके पर कब्जा काश्त तथा राजस्थान काश्तकारी (राजस्व मण्डल) नियम 1955 के नियम 18 से 21 एवं रास्तों सम्बन्धी राजस्व विभाग के परिपत्र दिनांक 6.11.2004 को मध्य नजर रखते हुये विभाजन प्रस्ताव तैयार कर यथाशीघ्र भिजवाने हेतु तहसीलदार, खेतड़ी को तहरीर जारी की गई। तहसीलदार (भू.अ.), खेतड़ी ने अपने पत्र क्रमांक: भू.अ./2023/222 दिनांक 13.01.2023 से न्यायालय के निर्णयानुसार विभाजन प्रस्ताव तैयार कर प्रस्तुत किये गये जो शामिल पत्रावली किये गये।

बहस विद्वान अधिवक्ता वादिया विभाजन प्रस्ताव पर सुनी गई। अधिवक्ता वादिया ने तहसीलदार, खेतड़ी द्वारा प्रस्तुत विभाजन प्रस्ताव दिनांक 13-01-2023 के अनुसार अंतिम डिक्री किये जाने का निवेदन किया। पत्रावली पर उपलब्ध विभाजन प्रस्ताव दिनांक 13-01-2023 (प्रदर्श-“अ-1 लगा. अ-9” व “ब”) का ध्यानपूर्वक अवलोकन एवं मनन किया गया। अतः वाद वादिया मुताबिक विभाजन प्रस्ताव दिनांक 13-01-2023 (प्रदर्श-“अ-1 लगा. अ-9” व “ब”) के अंतिम डिक्री किया जाना न्यायोचित पाया जाता है।

**आदेश**

अतः वाद वादिया मुताबिक विभाजन प्रस्ताव दिनांक 13-01-2023 (प्रदर्श-“अ-1 लगा. अ-9” व “ब”) के अन्तिम डिक्री किया जाता है। विभाजन प्रस्ताव दिनांक 13-01-2023 (प्रदर्श-“अ-1 लगा. अ-9” व “ब”) इस निर्णय व डिक्री का अभिन्न अंग रहेंगे। तहसीलदार खेतड़ी पक्षकारान के निवेदन पर प्रदर्श-“ब” के अनुसार सीमांकन करवायेंगे। उक्तानुसार अन्तिम पर्चा डिक्री जारी हो।

निर्णय आज दिनांक 16-02-2023 को खुले न्यायालय में सुनाया गया।

  
( जय सिंह )

उपखण्ड अधिकारी एवं  
पदेन सहायक कलक्टर, खेतड़ी  
**उपखण्ड अधिकारी, खेतड़ी**

मूल वाद में डिक्री  
(आदेश 20 के नियम 6 और 7)  
न्यायालय उप खण्ड अधिकारी, खेतड़ी जिला झुन्झुनू (राज.)

पीठासीन अधिकारी - जय सिंह, आर.ए.एस.

उनवान

मुन्नी

ब-ना-म

अड़ीसाल आदि

दावा बाबत खाता विभाजन

मुकदमा नम्बर :- 123 / 2021


निर्णय दिनांक :- 16-02-2023

वादिया की ओर से श्री राधाकृष्ण शर्मा एडवोकेट की व प्रतिवादीगण की ओर से ..... की उपस्थिति में इस वाद में आज तारीख 16-02-2023 को मेरे समक्ष अंतिम निपटारे के लिए पेश होने पर, आदेश किया जाता है और डिक्री दी जाती है कि -

"अतः वाद वादिया मुताबिक विभाजन प्रस्ताव दिनांक 13-01-2023 (प्रदर्श-"अ-1 लगा. अ-9" व "ब") के अन्तिम डिक्री किया जाता है। विभाजन प्रस्ताव दिनांक 13-01-2023 (प्रदर्श-"अ-1 लगा. अ-9" व "ब") इस निर्णय व डिक्री का अभिन्न अंग रहेंगे।"

खर्चा पक्षकारान अपना-अपना वहन करेंगे।

यह आज तारीख 16-02-2023 को मेरे हस्ताक्षर से और न्यायालय की मुद्रा लगाकर दी गई।



( जय सिंह )

उपखण्ड अधिकारी एवं  
पदेन सहायक कलक्टर, खेतड़ी  
उपखण्ड अधिकारी, खेतड़ी